न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी रणजीत सिंह आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 88/2025 – निगरानी

1. सांवरिया लाल सुथार बनाम पिता नानूराम सुथार निवासी नई परासोली तहसील आसीन्द, जिला भीलवाडा

–निगराकार

1. सांवरिया लाल पिता भैरूलाल कुमावत निवासी परासोली तहसील आसीन्द
2. ग्राम पंचायत परासोली जरिये सरपंच/ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत परासोली, तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा

– गैर निगराकार

निगरानी अंन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज अधिनियम 1994 विरुद्ध पट्टा ग्राम पंचायत परासोली द्वारा जारी पट्टा संख्या 38 दिनांक 05.09.2019

उपस्थित –

1. श्री नरेन्द्र कुमार भांबी अधिवक्ता – निगराकार की ओर से
2. श्री राकेश जैन अधिवक्ता –गैर निगराकार संख्या 1 की ओर से
3. श्री मांगीलाल सेन अधिवक्ता –गैर निगराकार संख्या 2 की ओर से

निर्णय

दिनांक 25.03.2026

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम विरूद्व गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि विपक्षी संख्या 2 द्वारा विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में पट्टा संख्या 38 दिनांकित 05.09.2019 जारी किया गया जिसके पडौसान पूर्व में आबादी परासोली, पश्चिम सांवरियालाल, उतर आबादी परासोली एवं दक्षिण में आम रास्ता है। वादग्रस्त जायदाद निगराकार की पुश्तैनी जायदाद है जिस पर निगराकार अपने पूर्वजों के समय से काबिज हो उपयोग–उपभोग करता चला आ रहा है। वादग्रस्त जायदाद में निगराकार की रोडिया, घास व लकड़ियां रखी है एवं चारों तरफ कांटों, पत्थरों व छडियों की बाड लगा रखी है। विपक्षी संख्या–1 का उक्त वादग्रस्त जायदाद से कोई सरोकार वास्ता नहीं है एवं विपक्षी संख्या–1 का उक्त वादग्रस्त जायदाद पर कभी कब्जा व उपयोग उपभोग नहीं रहा है फिर भी विपक्षी संख्या–2 ने बिना जांच पड़ताल किये उक्त पट्टा विपक्षी संख्या–1 के पक्ष में जारी कर दिया जो अवैधानिक होने से निरस्तनीय है। विपक्षी संख्या–2 द्वारा विपक्षी संख्या–1 के पक्ष में उक्त पट्टा जारी किये जाने से पूर्व धारा 140 से 160 राज. पंचायती राज अधिनियम में वर्णित प्रावधानों एवं प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया जिससे उक्त पट्टा

25.3.26
अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा

विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय हैं। विपक्षी संख्या–2 द्वारा कोई पत्रावली संधारित नहीं की गई, न मौका निरीक्षण ही वादग्रस्त स्थल का किया गया। कोई सार्वजनिक आपत्तियां आमंत्रित नहीं की गई, विपक्षी संख्या–2 ने मात्र कागजी खाना पूर्ति कर उक्त पट्टा जारी किया है जो निरस्त होने योग्य है। विपक्षी संख्या–2 ने विपक्षी संख्या–1 को अनुग्रहित करने के आशय से उक्त पट्टे का पंजीयन भी विपक्षी संख्या–1 के पक्ष में करवा दिया जो भी अवैधानिक होने से निरस्त होने योग्य है। अतः निवेदन है कि निगराकार की यह निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर विपक्षी संख्या–2 द्वारा विपक्षी संख्या–1 के पक्ष में पट्टा संख्या–38 दिनांक 05/09/2019 को अपास्त फरमाया जावे।

प्रस्तुत निगरानी पंजीबद्व की जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। विपक्षी संख्या 02 की ओर से लिखित बहस पेश की गयी।

निगराकार ने अपनी बहस में निगरानी मेमों में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विपक्षी के नाम पर पैतृक जायदाद मानते हुये पट्टा पुराने गृहों का विनियमितिकरण के आधार पर दिनांक 05.09.2019 को जारी किया गया जो विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त होने लायक हैं। ग्राम पंचायत परासोली द्वारा विवादित भूखण्ड का जो पटटा जारी किया गया जिसमें पत्रावली कायम नही की गयी एवं मात्र पटटे में अंकित कर दिया कि प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 05.09.2019 की अनुपालना में पटटा जारी किया गया जिसमें पुराना कब्जा मानते हुये पुराने गृहों के विनियमितिकरण के तहत पटटा जारी किया गया है तथा ग्राम पंचायत की खाली पडी हुयी भूमि में भूखण्डों का कानूनन पटटा पैतृक भूमि मानकर पटटा जारी नही किया जा सकता हैं जो कानूनन गलत होकर अवैध हैं। अतः निवेदन हैं कि ग्राम पंचायत परासोली द्वारा दिनांक 05.09.2019 को विपक्षी संख्या 01 के पक्ष में जारी किया गया पट्टा निरस्त किया जावे।

गैर निगराकार संख्या 2 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में लिखित बहस के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में तथाकथित पटटा संख्या 38 दिनांक 05.09.2019 को जारी होना बताया गया जो कि फर्जी पटटा बनाया गया है जिसका ग्राम पंचायत में कोई रिकॉर्ड ही नहीं है तथा सचिव के हस्ताक्षर भी फर्जी है अतः पटटा

25.3.26
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

निरस्त होने योग्य है। विपक्षी संख्या 1 सांवरियालाल पिता भैरूलाल कुमावत के नाम पर पटटा संख्या 38 दिनांक 05.09.2019 का कोई रिकॉर्ड ग्राम पंचायत मे नहीं है ऐसी स्थिति में पटटा खारीज होने योग्य है।

गैर निगराकार संख्या 1 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि विपक्षी के मालिकाना हक एवं आधिपत्य की जायदाद नपती 40 फीट बाई 60 फिट ग्राम नई परासोली तहसील आसीन्द में स्थित है, उक्त जायदाद न तो प्रार्थी की मालिकाना हक की है, न ही प्रार्थी एवं उनके पूर्वजों का कभी कोई कब्जा ही रहा है, बल्कि उक्त वर्णित जायदाद जवाबदाता विपक्षी के मालिकाना हक की पुश्तैनी जायदाद है, जिसका विधिवत पट्टा जवाबदाता विपक्षी के पक्ष में जारी किया गया है, जो पूर्णतः विधि सम्मत है, ग्राम पंचायत ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के नियमों की पालना करते हुए सभी विधिक प्रक्रियाओं को पूर्ण करते हुए उक्त पट्टा जवाबदाता विपक्षी के हक में जारी किया है। उक्त प्रश्नगत जायदाद पर प्रार्थी निगराकार का कभी कोई कब्जा, उपयोग–उपभोग नहीं रहा है। प्रार्थी द्वारा प्रश्नगत जायदाद में मवेशीयों की खाद एकत्रित करने हेतु रोडी बना रखी होने व प्रार्थी की घास, लकडियां पड़ी होने के तथ्य सरासर मिथ्या अंकित किये हैं, बल्कि प्रश्नगत जायदाद जवाबदाता विपक्षी के मालिकाना हक की पुश्तैनी जायदाद है, जिस पर जवाबदाता विपक्षी अपने पूर्वजों के समय से ही काबिज होकर उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे है। ग्राम पंचायत ने आवश्यक जांच–पडताल करने के उपरान्त ही उक्त पट्टा जारी किया है। ग्राम पंचायत ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों, आपैचारिकताओं एवं विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए जवाबदाता विपक्षी के पक्ष में विधिवत पट्टा जारी किया है। ग्राम पंचायत ने जवाबदाता विपक्षी के पक्ष में विधिवत पट्टा जारी किया है, उक्त पट्टा जारी होने के पश्चात ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पट्टे का विधिवत् पंजीयन दिनांक 19.12.2019 को जवाबदाता विपक्षी के पक्ष में उपपंजीयक कार्यालय, आसीन्द में करवाया गया। प्रार्थी ने उक्त पट्टे व उसके पंजीयन के सम्बन्ध में मिथ्या आक्षेप लगाये हैं। जायदाद जवाबदाता विपक्षी की पुश्तैनी जायदाद है, उसका पट्टा बनाने हेतु जवाबदाता विपक्षी ने ग्राम पंचायत के समक्ष आवेदनपत्र प्रस्तुत किया, जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार शुल्क जमा कर पत्रावली कायम की गयी, तत्पश्चात सचिव द्वारा मकान का नक्शा तैयार किया गया एवं वार्ड पंचों द्वारा स्थल निरिक्षण किया व नियमानुसार आपत्तिपत्र जारी किया गया, इस प्रकार ग्राम पंचायत ने राजस्थान पंचायती

25.3.26
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

राज अधिनियम 1994 के विधिक प्रावधानों, नियमों एवं औपचारिकताओं का पालन करते हुए जवाबदाता विपक्षी के पक्ष में पट्टा जारी किया है, जो पूर्णतया विधि सम्मत है। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी किये जाने में कोई अनियमितता एवं अवैधानिकता नहीं की है। निगराकार प्रार्थी को यह निगरानी प्रस्तुत करने की कोई लोकस स्टण्डाई नही है, जिससे भी यह निगरानी निरस्त होने योग्य है। अतः प्रार्थना है कि निगराकार प्रार्थी की यह निगरानी सर्वथा असत्य एवं आधारहीन होने से निरस्त फरमाया जावे।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त पाया गया कि विपक्षी संख्या 2 के अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा प्रश्नगत पटटे के संबंध में किसी प्रकार की पत्रावली संधारित नही की गयी।

विपक्षी संख्या 2 के उक्त कथन के संबंध में पत्रावली परीक्षण उपरांत जाहिर आया कि पत्रावली पर अधीनस्थ न्यायालय की सम्पूर्ण मिसल पत्रावली की प्रमाणित प्रति संलग्न है। मिसल पत्रावली के परीक्षण से जाहिर होता हैं कि प्रश्नगत पटटे हेतु विपक्षी द्वारा ग्राम पंचायत में आवेदन किये जाने पर पत्रावली कायम की जाकर प्रस्ताव ग्राम पंचायत कोरम मे रखा गया। मिसल पत्रावली में आज्ञाओं की सूची, पुश्तैनी मकान का नक्शा आबादी भूमि में, आक्षेप आमंत्रित सूचना पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र पटटा शुल्क रसीद सभी दस्तावेज पंचायती राज नियमों के अनुसार संलग्न हैं। जिसमें कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नही होती हैं। इस प्रकार विपक्षी संख्या 2 का कथन कि पत्रावली संधारित नही होकर नियमों की अवहेलना की गयी, निराधार सिद्ध होता हैं।

विपक्षी द्वारा मिसल पत्रावली की प्रमाणितशुदा प्रति पेश करने पर, मिसल पत्रावली सही अथवा गलत होने के प्रमाण स्वरूप कोई दस्तावेजात विपक्षी संख्या 2 द्वारा पेश नही किये गये एवं न ही मिसल पत्रावली के खण्डन मे कोई अन्य तथ्य व्यक्त किये गये।

उपरोक्त विवेचन अनुसार अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत ने उक्त प्रश्नगत मिसल संख्या 79/2019 दिनांक 01.01.2019 के जरिये पटटा संख्या 38 दिनांकित 05.09.2019 तत्कालीन नियमों व प्रावधानों के तहत गैर निगराकार को जारी किया गया, जिसमें कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नही होती है। निगराकार की निगरानी सारहीन व आधारहीन एवं तथ्यहीन होने से स्वीकार योग्य नहीं ठहरती हैं। अतएव–

25.3.26
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत तथ्यहीन, सारहीन एवं आधारहीन होने से अस्वीकार की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत परासोली द्वारा मिसल संख्या 79/2019 दिनांकित 01.01.2019 के जरिये पटटा संख्या 38 दिनांकित 05.09.2019 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत परासोली पंचायत समिति आसीन्द को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 25.03.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

25.3.26

(रणजीत सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा